

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:- प. 4 (213) वित्त-(1) आ. व्यय/2015/

जयपुर, दिनांक:- 28/06/16

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या- 133/2016-17)

विषय:- नव सृजित पंचायत समितियों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 की राशि का पी.डी. खातों में हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 4 (42) परावि/पीसी/नवसृजित प.स.भ.नि./बजट/2014-15/ 1653 जयपुर, दिनांक 24.06.2016 (प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 10/2016-17) में अंकित शर्तों एवं संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रुपये 1400.00 लाख (अक्षरे रूपये चौदह करोड मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुये हस्तान्तरित कर दिया जावे:-

--:व्यय निम्नानुसार विकलेय है:-

सारणी "अ" के अनुसार

मांग संख्या-41	मांग संख्या-51	मांग संख्या-30	योग
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। 103 :- ग्राम विकास। (01) :- निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से। [01] :- जिला परिषदों / पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु। 16 :- लघु निर्माण कार्य (आयोजना)	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। 789 :- अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना। (10) :- निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से। [01] :- जिला परिषदों / पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु। 16 :- लघु निर्माण कार्य (आयोजना)	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। 796 :- जनजातीय क्षेत्र उप योजना। (11) :- निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से। [01] :- जिला परिषदों / पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु। 16 :- लघु निर्माण कार्य (आयोजना)	1400.00 लाख
961.80 लाख	249.20 लाख	189.00 लाख	

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, अन्य किसी प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141-2227275, ई-मेल Seprd123@gmail.com
क्रमांक- एफ 4(42) परावि/पीसी/नव सृजित प.स.भ.नि./बजट/ 2014-15/1653 जयपुर दिनांक-24.6.16

(प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक:- 10/2016-17)

विभागीय अधिसूचना दिनांक 5.11.2014 के द्वारा राज्य में 47 नवीन पंचायत समितियों का सृजन किया गया है। बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 165 के अनुसार "नवीन पंचायत समितियों के नवीन भवनो का निर्माण 94 करोड की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। इस बजट घोषणा की क्रियान्विती के क्रम में संलग्न परिशिष्ट-"1" में वर्णित 14 पंचायत समितियों हेतु संबंधित जिला कलक्टर से अन्य राजकीय भवन उपलब्ध नही होने बाबत N.A.C. प्राप्त होने तथा भूमी आवंटन हो जाने की स्थिति में कुल लागत राशि रूपये 2 करोड की 50 प्रतिशत राशि रूपये 1 करोड प्रति पंचायत समिति की दर से कुल राशि रूपये 14 करोड (अक्षरे रूपये चौदह करोड मात्र) संबंधित पंचायत समिति के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

मांग संख्या 41

4515:- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।

103 :- ग्राम विकास।

(01) :- निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।

[01] :- जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।

16 :- लघु निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रूपये 961.80 लाख।

मांग संख्या 51

4515 :- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।

789 :- अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना।

(10) :-निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।

[01] :- जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।

16 :- लघु निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रूपये 249.20 लाख।

मांग संख्या 30

4515 :-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।

796 :- जनजातीय क्षेत्र उप योजना।

(11) :- निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।

[01] :- जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।

16 :- लघु निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रूपये 189.00 लाख।

कुल योग:-


राशि रूपये 1400.00 लाख।

उक्त कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी संबंधित पंचायत समिति होगी। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 331600367 दिनांक 15.6.2016 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

नव सृजित पंचायत समिति भवन निर्माण हेतु कोषालयवार/पंचायत समितिवार राशि आवंटन का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला/कोषालय	पंचायत समिति	बजट मद			योग
			मांग संख्या 41	मांग संख्या 51	मांग संख्या 30	
			4515-103-(01)-[01]- 16	4515-789-(10)-[01]- 16	4515-796-(11)-[01]- 16	
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	सरवाड़	68.70	17.80	13.50	100.00
2	बांसवाड़ा	अरथुना	68.70	17.80	13.50	100.00
3	बाड़मेर	गडरारोड़	68.70	17.80	13.50	100.00
4	भरतपुर	पहाड़ी	68.70	17.80	13.50	100.00
5	भीलवाड़ा	बिजोलिया	68.70	17.80	13.50	100.00
6	चूरु	बीदासर	68.70	17.80	13.50	100.00
7	धोलपुर	सैपळ	68.70	17.80	13.50	100.00
8	डूंगरपुर	साबला	68.70	17.80	13.50	100.00
9		गलिया कोट	68.70	17.80	13.50	100.00
10		चिखली	68.70	17.80	13.50	100.00
11		जोधली	68.70	17.80	13.50	100.00
12		दोवड़ा	68.70	17.80	13.50	100.00
13	श्रीगंगानगर	विजयनगर	68.70	17.80	13.50	100.00
14	जोधपुर	देचू	68.70	17.80	13.50	100.00
	योग		961.80	249.20	189.00	1400.00


 अधीक्षक अभियन्ता (प्रो.)
 पंचायती राज विभाग
 राजस्थान, जयपुर